

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5309
दिनांक 03 अप्रैल 2025 को उत्तरार्थ

ईवी चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देना और अपनाना

5309. श्रीमती हिमाद्री सिंह:

श्री भोजराज नाग:

कैप्टन बृजेश चौटा:

श्री आलोक शर्मा:

श्री पी. सी. मोहन:

डॉ. भोला सिंह:

श्री दामोदर अग्रवाल:

डॉ. निशिकान्त दुबे:

सुश्री कंगना रनौत:

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

डॉ. विनोद कुमार बिंद:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

श्री दिनेशभाई मकवाणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी राज्यों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेषकर छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बंगलुरु और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग अवसंरचना अपनाने को बढ़ावा देने और ईवी के संबंध में एक सामान्य स्पष्ट नीति बनाने हेतु कदम उठा रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थापित किए गए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ईवी चार्जिंग स्टेशनों में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में ओडिशा और उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग अवसंरचना की उपलब्धता का विस्तार किस प्रकार किया जा रहा है;

(घ) क्या ईवी चार्जिंग संबंधी शुल्क को विनियमित करने और इसकी किफायती कीमतें सुनिश्चित करने के लिए कोई नीतिगत हस्तक्षेप की योजना बनाई गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ईवी अवसंरचना के विस्तार में किन्हीं चुनौतियों को चिह्नित किया है और यदि हाँ, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) उक्त योजना के अंतर्गत भोपाल जिले में कितनी प्रगति हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (घ) : विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में स्पष्ट किया है कि चार्जिंग स्टेशनों को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, मंत्रालय ने सितंबर, 2024 में "इलेक्ट्रिक

वाहन चार्जिंग अवसंरचना की संस्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" जारी किए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू ये दिशानिर्देश एक अंतर-संचालन ईवी चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए मानकों को रेखांकित करते हैं। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार हैं:

- I. सार्वजनिक भूमि को राजस्व-साझाकरण मॉडल पर सरकार/सार्वजनिक संस्थाओं को 1.0 रुपये/किलोवाट घंटा की दर से 10 वर्षों के लिए दिया जा सकता है; और निजी संस्थाओं को उसी न्यूनतम मूल्य (अर्थात 1.0 रुपये/किलोवाट घंटा) पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बोली के माध्यम से दिया जा सकता है।
- II. डिस्कॉम को 150 किलोवाट तक के चार्जिंग स्टेशनों के लिए शीघ्र समयसीमा के साथ विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करना होगा।
- III. राज्य सरकारें चार्जिंग स्टेशनों के चौबीसों घंटे संचालन को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करेंगी।

ईवी चार्जिंग टैरिफ को विनियमित करने और किफायती दरों पर चार्जिंग सुनिश्चित करने के लिए, दिशा-निर्देश निम्नानुसार प्रावधान करते हैं:

- I. सीमित विद्युत टैरिफ:- दिनांक 31 मार्च, 2028 तक आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) पर सीमित एकल-भाग टैरिफ।
- II. सौर घंटों के दौरान एसीओएस पर 30% की छूट और गैर-सौर घंटों के दौरान 30% अधिभार दिया जाएगा।
- III. सार्वजनिक और सामुदायिक स्टेशनों के लिए समय-आधारित चार्जिंग शुल्क:-
 - एसी चार्जिंग: सौर घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान 3.0 रु प्रति यूनिट, गैर-सौर घंटों के दौरान 4.0 रु प्रति यूनिट।
 - डीसी चार्जिंग: सौर घंटों के दौरान 11.0 रु प्रति यूनिट, गैर-सौर घंटों के दौरान 13.0 रु प्रति यूनिट।
- IV. पास-थ्रू लागत:- भूमि लागत और विद्युत टैरिफ को पास-थ्रू लागत के रूप में माना जाएगा, जिससे चार्जिंग सेवा प्रदाताओं पर न्यूनतम वित्तीय बोझ सुनिश्चित होगा।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 28.03.2025 तक देश भर में संस्थापित राज्यवार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का विवरण **अनुबंध** पर है।

(ख): विद्युत मंत्रालय ईवी चार्जिंग स्टेशनों में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय ने ईवी अपनाने को बढ़ावा देने, चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने और भारत में एक सुदृढ़ ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए अक्टूबर 2024 में पीएम ई-ड्राइव स्कीम शुरू की। यह स्कीम चार्जिंग अवसंरचना के विकास के लिए अनुदान प्रदान करती है और इसका उद्देश्य ईवी उपयोगकर्ता के विश्वास को बढ़ाने के लिए ई-4डब्ल्यू के लिए 22,000 से अधिक चार्जर, ई-बसों के लिए 1,800 और ई-2डब्ल्यू और ई-3डब्ल्यू के लिए प्रावधान सहित पर्याप्त सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करना है।

(ग): टियर-II और टियर-III शहरों सहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करने के लिए, उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- I. शहरी क्षेत्र – प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन।
- II. राजमार्ग – प्रत्येक 20 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन।
- III. लंबी दूरी के ईवी और भारी वाहन (बसें/ट्रक) – राजमार्ग के प्रत्येक तरफ हर 100 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन।
- IV. ईंधन खुदरा आउटलेटों को प्राथमिकता – तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा संचालित मौजूदा ईंधन स्टेशनों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- V. प्रमुख स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन, जिनमें शामिल हैं:
 - आवासीय सोसाइटियों सहित समूह आवास सोसाइटियाँ

- शॉपिंग मॉल, कार्यालय भवन, रेस्तरां और होटल
- शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल

ये दिशानिर्देश ओडिशा और उत्तर प्रदेश सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को साइटों के आवंटन की सुविधा प्रदान करने और ईवी चार्जिंग नेटवर्क विस्तार में सहयोग करने के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने में मदद करते हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 28.03.2025 तक, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 550 और 2113 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन संस्थापित किए गए हैं।

(ड.): विद्युत मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित ईवी चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने में निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियाँ चिह्नित की हैं, जिनका उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है।

- चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थलों की उपलब्धता,
- उच्च कनेक्टिविटी प्रभार,
- बिजली कनेक्शन जारी करने में देरी।
- कुछ स्थानों पर रात में चार्जिंग स्टेशन खोलने की अनुमति।

(च) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 25 मार्च, 2025 तक भोपाल जिले में 58 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन संस्थापित किए जा चुके हैं।

(छ) : ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2021 को “गो इलेक्ट्रिक” अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत, राज्यों ने 205 वेबिनार/कार्यशालाएं, 119 रोड शो/रैली और 179 अन्य गतिविधियां जैसे रेडियो जिंगल, पोस्टर/पत्रक वितरण, सोशल मीडिया जागरूकता और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए हैं।

दिनांक 28.03.2025 तक देश भर में राज्यवार संस्थापित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

राज्य	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की संख्या
अंडमान और निकोबार	4
आंध्र प्रदेश	614
अरुणाचल प्रदेश	44
असम	311
बिहार	393
चंडीगढ़	14
छत्तीसगढ़	290
दिल्ली	1951
गोवा	155
गुजरात	1008
हरियाणा	808
हिमाचल प्रदेश	114
जम्मू एवं कश्मीर	157
झारखंड	277
कर्नाटक	5879
केरल	1288
लद्दाख	1
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	942
महाराष्ट्र	3842
मणिपुर	50
मेघालय	43
मिजोरम	13
नागालैंड	36
ओडिशा	550
पुदुचेरी	42
पंजाब	607
राजस्थान	1285
सिक्किम	11
तमिलनाडु	1495
तेलंगाना	976
त्रिपुरा	54
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र	6
उत्तर प्रदेश	2113
उत्तराखंड	202
पश्चिम बंगाल	791
कुल योग	26,367
